(225)

<u>न्यायालय राजस्व मण्डल; मध्य प्रदेश ग्वालियर</u>

समक्ष - आशीष श्रीवास्तव

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक 2086-दो/15 विरूध्द आदेश दिनांक 15/6/2015 पारित व्दारा तहसीलदार तहसील हुजूर जिला रीवा के प्रकरण क्रमांक 385/अ-27/11-12.

विमला देवी पुत्री रामसेवक पत्नी गंगा प्रसाद परौहा
निवासी मोहल्ला पडरा तहसील हुजूर जिला रीवा म0 प्र0

- आवेदक

- विरूध्द -

1 श्रीमती दशोमति पत्नी स्व0 रामसुमिरन सोहगौरा
निवासी मोहल्ला पडरा तहसील हुजूर जिला रीवा म0 प्र0
2 राजेश शुक्ला तहसीलदार तहसील हुजूर जिला रीवा म0 प्र0
3 प्रियदम्बरा त्रिपाठी पटवारी, पटवारी हल्का पडरा जिला रीवा म0 प्र0
4 महेश प्रसाद तिवारी तनय श्री महावीर प्रसाद तिवारी
ग्राम पडरा तहसील हुजूर जिला रीवा

-

अनावेदकगण

श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह,अभिभाषक, आवेदक
श्री मुकेश भार्गव,अभिभाषक, अनावेदकगण

निग0प्र0क्र0 2086-दो/15

आ दे श

(आज दिनांक 31/3/2016 को पारित)

१. यह निगरानी प्र क्र 2086-दो/15 रा.मं. में म0 प्र0 भू'राजस्व संहिता 1959 (जिसे संक्षेप में बाद में केवल संहिता कहा जावेगा) की धारा 50 के अंतर्गत तहसीलदार तहसील हुजूर जिला रीवा के प्र क्र 385/अ-27/11-12 में पारित आदेश दि 15-6-2015 के विरुद्ध संस्थित हुआ है.

२] प्रकरण का संक्षेप इस प्रकार है.

वाद ग्राम पड़रा, तः हुजुर, जिला रीवा की भूमि स क्र १५३ एवं १७४ कुल रकबा ०.४८ एकड़ से सम्बन्धित है. आवेदिका विमला के अनुसार उसकी माँ ने उक्त भूमि देवरतिया से वर्ष १९८३ में रु. ११००/- क्रय की थी, और बाद में वर्ष २०१० में उसपर अतिरिक्त स्टाम्प ड्यूटी देकर उसने उसका पंजीयन कराया. तदुपरांत अनावेदिका ने अपनी भूमि के बटवारे का आवेदन तहसीलदार के समक्ष लगाया जिसमे उसने आवेदिका की भूमियों को भी शामिल कर लिया. इसपर आवेदिका ने दि २६-४-११ को आपत्ति की, लेकिन तहसीलदार ने आवेदिका को आवश्यक सुनवाई का अवसर दिए बगैर और उसकी आपत्ति का निराकरण किये बगैर अनावेदिका के पक्ष में दि ३१-८-१२ को आदेश पारित कर दिया. इसके विरुद्ध रा मं में निगरानी हुई, जहाँ प्र क्र निग-३७८०/दो/१२ के आदेश दि १५-४-१३ से प्रकरण तहसीलदार को उभयपक्ष को सुनवाई का अवसर देकर निराकरण के निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित हुआ. इसके उपरांत तहसीलदार के समक्ष प्र क्र ३८५/अ-२७/११-१२ चला जिसमें पेशी दि १५-६-१५ को पहले तहसीलदार ने प्रकरण साक्षीगणों के प्रतिपरीक्षण

हेतु दि २६-६-१५ के लिए नियत किया, और फिर इसी दिनांक को पुनःश्च लिखकर महेश प्रसाद तिवारी को पक्षकार बनाने का निर्णय लिया और प्रकरण पूर्ववत प्रतिपरीक्षण हेतु नियत किया. इसके विरुद्ध यह निगरानी रा मं में प्रस्तुत हुई.

३] मैंने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्क सुने.

आवेदकपक्ष के अधिवक्ता ने अपने तर्क में प्रकरण के तथ्य दोहराते हुए यह कहा कि दि १५-६-१५ को पुनःश्च करके लिया गया निर्णय उन्हें बगैर सुने लिया गया है, वह गलत है और निरस्तीयोग्य है.

अनावेदकपक्ष के अधिवक्ता ने लिखित तर्क दिए, जिनमे उन्होंने मुख्यतः यह कहा कि चूँकि अनावेदिका दशोमती ने खाता विभाजन के बाद विषयांकित आराजियों में अपना १/४ अंश महेश कुमार तिवारी को दि ३१-१०-१२ को बेच दिया था, इसलिए महेश को पक्षकार बनाया जाना आवश्यक और न्यायोचित था. इस आधार पर उन्होंने आक्षेपित आदेश यथावत रखा जाने का निवेदन किया.

४] मैंने तर्कों के प्रकाश में नस्ती का परिशीलन किया.

इस सबके आधार पर पूर्ण विचारोपरांत मैं सर्वप्रथम तो यह टीप करना आवश्यक समझता हूँ कि तहसीलदार द्वारा उनकी हस्तलिपि में लिखा गया आक्षेपित आदेश अत्यंत ही ख़राब लिखावट में लिखा गया है, जिसकी वजह से उसको पढ़ना अत्यंत दूभर और कठिन है. बहरहाल, विद्वान अधिवक्ताओं की सहायता एवं अपने प्रयास से इस न्यायालय ने

उसमें से इतना अवश्य स्पष्ट कर लिया है कि *"महेश तिवारी ... दशोमती आवेदिका ने भूमि विक्रय की थी तथा महेश के नाम नामांतरण हो चुका था लेकिन ... अना. क्र. ३ (यानि महेश) का नाम विलुप्त कर दिया गया ... आदेशित किया जाता है कि जितनी भूमि को महेश ने क्रय किया था उसपर उसका नाम दर्ज यथावत करें तथा प्रकरण में पक्षकार यथावत रखें. आवेदिका (दशोमती) के अभि. ने सहमत भी व्यक्त की है. प्रकरण पूर्ववत प्रतिपरिक्षण हेतु".*

आगे, मैं यह पाता हूँ कि महेश का नाम तहसीलदार के समक्ष के प्रकरण में अनावेदक क्र ३ के तौर पर पहले से ही लिखा था. साथ ही यदि दशोमती द्वारा उसे उसकी भूमि बेचीं गई है तो वह प्रकरण में आवश्यक पक्षकार वैसे भी बनता है. अतः उसे पक्षकार मानने में तहसीलदार ने कोई गलती नहीं की है.

वैसे भी अभी तहसीलदार के समक्ष निगराकारा सहित समस्त पक्षकारों को अपना अपना पक्ष रखने का अवसर उपलब्ध है जहाँ निगराकारा सहित समस्त पक्षकार अपनी सभी बातें विचार और निर्णयार्थ रख सकते हैं. यदि निगराकारा को ऐसा लगता है कि महेश के हित प्रकरण से जुड़े नहीं हैं, तो वह इस बिंदु को तहसीलदार के समक्ष उठा सकती हैं और तहसीलदार उसका न्यायोचित निराकरण कर सकते हैं. महेश के पक्षकार होने की स्थिति में उसके हित वादविषय से सम्बन्धित होने या नहीं होने के बिंदु का निराकरण चूँकि महेश को सुनकर किया जा सकेगा, इसलिए वह और अधिक न्यायपूर्ण ही होगा, ऐसा ही माना जाएगा. केवल महेश को पक्षकार बना लिए जाने से निगराकारा के वैधानिक हित अनुचित रूप से प्रभावित हो गए हों या प्रभावित होने सम्भावित हो गए हों, ऐसा नहीं माना जा सकता.

अतः, मैं इस निगरानी को ग्राह्य किये जाने योग्य नहीं पाता हूँ और अग्राह्य करता हूँ.

साथ ही मैं तहसीलदार को यह निर्देश देता हूँ कि वे उनके समक्ष निगराकारा सहित समस्त पक्षकारों को अपना अपना पक्ष रखने का पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराएं. पक्षकारों को भी यह निर्देश देता हूँ कि वे इस अवसर का स-समय आवश्यकतानुसार उपयोग करें, और विशेषकर निगराकारा विमला अपने समस्त बिंदु तहसीलदार के समक्ष विचार और निर्णय हेतु प्रस्तुत करें. और तहसीलदार इस सबके बाद ही अपने न्यायालय के प्रकरण में समस्त बिन्दुओं को कवर करते हुए बोलते स्वरूप के निष्कर्ष निकालें और निर्णय पारित करें.

५] इसके सब के साथ मैं तहसीलदार को यह आदेश देना आवश्यक समझता हूँ कि वे अपने प्रकरणों में स्पष्ट, सुवाच्य और सुपठ्य आदेश अनिवार्यतः लिखें, चाहे वे हाथ की लिखावट में हों या टंकित हों.

इस प्रकरण में तहसीलदार का आक्षेपित आदेश अत्यंत ही अस्पष्ट और गन्दी लिखावट में लिखा है, जिसकी वजह से उसे पढ़ना अत्यधिक कठिन और दूभर हुआ और उसके कुछ अंश अंत तक भी नहीं पढ़े जा सके. तहसीलदार का आक्षेपित आदेश ऐसी लिखावट में लिखा है जैसी लिखावट में कोई पर्सनल डायरी लिखता है. न्यायालयीन आदेश सार्वजनिक अभिलेख होते है, उनसे पक्षकारों के हित जुड़े होते हैं, और उन्हें लेकर कई बार वरिष्ठ न्यायालयों को भी विचार करना होता है. इस प्रकरण का आक्षेपित आदेश इतनी खराब लिखावट में होने के कारण इस सम्भावना से इंकार नहीं किया

जा सकता कि पक्षकार भी उसे पूरी तरह से पढ़ और सही से समझ नहीं पाए हों और वैसी हो स्थिति में इस न्यायालय के समक्ष यह निगरानी ले आए हों. जब भी ऐसा होता है तो उससे अनावश्यक न्यायिक प्रक्रिया बढ़ती है, वरिष्ठ न्यायालयों का बहुमूल्य समय और अन्य संसाधन व्यर्थ होते हैं और पक्षकारों को आर्थिक हानी और कठिनाई भी होती है जो संभवतः इस प्रकरण में भी हुई. अतः मैं आयुक्त, रीवा को सम्बन्धित तहसीलदार से इस प्रकार का अवांछनीय कृत्य करने के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण लेकर योग्य कार्यवाही करने/ कराने के निर्देश देता हूँ.

साथ ही आयुक्त, रीवा को यह निर्देश भी देता हूँ कि उनके सम्भाग के समस्त राजस्व न्यायायों के प्रकरणों में राजस्व अधिकारीयों द्वारा आदेश पत्रिकाओं पर या पृथक से पारित किये जाने वाले आदेश स्पष्ट, साफ़ और सुपठ्य लिखावट में लिखे जाएं या टंकित किये जाएं, इस सम्बन्ध में वे अपने स्तर से योग्य प्रशासनिक कार्यवाही करते हुए परिणाम अवश्य सुनश्चित करें.

इस सब के अतिरिक्त मैं इस प्रकरण में इस विशिष्ट बिंदु पर यह टीका भी करना चाहता हूँ कि क्योंकि राजस्व अधिकारीयों द्वारा पारित किये जाने वाले ऐसे आदेश सार्वजानिक अभिलेख होते हैं और सम्बंधित पक्षकारों के अधिकार इनसे जुड़े होते हैं जिनके विरुद्ध वे वरिष्ठ न्यायालयों में भी जाते हैं, अतः प्रदेश के राजस्व अधिकारी अपने आदेशों का साफ़, सुवाच्य और सुपठ्य होना अनिवार्यतः सुनिश्चित करें, भले ही वे हाथ की लिखावट में लिखे हों या टंकित हों, और जहाँ भी आवश्यक हो वे इस सम्बन्ध में सुधारात्मक कार्यवाही करें.

निग0प्र0क्र0 2086-दो/15

इस बिंदु पर मैं रा मं के सचिवालय को भी यह निर्देश देता हूँ कि वे अपने कार्यालय से और प्रदेश शासन से भी इस बाबत निर्देश जारी कराने के सम्बन्ध में कार्यवाही करें कि प्रदेश के राजस्व अधिकारीयों द्वारा पारित किये जाने वाले आदेश अनिवार्यतः स्पष्टतः लिखे या टंकित किये गए हों, और वे अनिवार्यतः स्पष्ट, साफ़ और सुपठ्य हों ताकि ऊपर लिखे जा चुके उद्देश्यों की पूर्ति हो सके.

६] उपरोक्त विवेचना के प्रकाश में मैं यह निगरानी अग्राह्य करते हुए और ऊपर लिखे जा चुके निर्देशों के साथ यह प्रकरण रा मं से समाप्त करता हूँ.

आदेश पारित.
पक्षकार सूचित हों.
सम्बन्धित तहसीलदार हुजुर, जिला रीवा, आयुक्त, रीवा सम्भाग, रीवा और रा मं का सचिवालय पूर्ववर्ती पैरा ५ की कार्यवाही हेतु सूचित हों.
प्रकरण समाप्त.
दा द हो.

(आशीष श्रीवास्तव)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश
ग्वालियर